



प्रेस नोट- थाना खुदागंज

जनपद- शाहजहाँपुर

सराहनीय कार्य दिनांक 14.11.25

“थाना खुदागंज पुलिस टीम द्वारा दहेज हत्या के अभियोग में वांछित 02 अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार”

श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद शाहजहाँपुर के निर्देशानुसार, अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण महोदया के निर्देशन व क्षेत्राधिकारी तिलहर महोदया के कुशल पर्यवेक्षण में अपराध की रोकथाम व अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में प्रभारी निरीक्षक खुदागंज के नेतृत्व में थाना खुदागंज पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली।

दिनांक 08.11.2025 को, वादिनी ने अभियुक्तगण 1. राजेश पुत्र रामगोपाल (पति) 2. भगवानदास पुत्र रामगोपाल (जेठ) 3. रामगोपाल पुत्र रामभरोसे (ससुर) सर्व निवासीगण सिमौरी थाना खुदागंज जनपद शाहजहाँपुर के द्वारा वादिनी की पुत्री को दहेज के लिए प्रताडित करना तथा दिनांक 06/07.11.2025 की रात्रि को प्रतिवादीगण द्वारा वादिनी को पुत्री को फांसी लगाकर मार डालने के सम्बन्ध में थाना खुदागंज पर मु0अ0स0 247/2025 धारा- 85/80(2) BNS व धारा 3/4 डी0पी0एक्ट पंजीकृत कराया गया था। मुकदमे में वांछित उपरोक्त अभियुक्तगण की लगातार तलाश जारी थी जिसके क्रम में मुखबिर की सूचना पर आज दि 0 14.11.2025 को समय 12.57 PM बजे नवादा खुदागंज रोड पर गुड्डू भट्ट से आगे गुड्डू के खेत के सामने वांछित अभियुक्त 1. राजेश 2 रामगोपाल उपरोक्त को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारशुदा अभियुक्तगण के विरुद्ध अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त:-

- 1.राजेश कुमार पुत्र रामगोपाल उम्र करीब 34 वर्ष नि0 ग्रा0 सिमौरी थाना खुदागंज जनपद शाहजहाँपुरा।
- 2.रामगोपाल पुत्र रामभरोसे उम्र करीब 55 वर्ष नि0 ग्रा0 सिमौरी थाना खुदागंज जनपद शाहजहाँपुरा।

गिरफ्तारी का दिनांक/समय व स्थान-

दिनांक 14.11.2025, समय 12.57 PM , स्थान- नवादा खुदागंज रोड पर गुड्डू भट्ट से आगे गुड्डू के खेत के सामने

पंजीकृत अभियोग:-

मु0अ0स0 247/2025 धारा- 85/80(2) BNS व धारा ¾ डी0पी0एक्ट थाना खुदागंज जनपद शाहजहाँपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का विवरण:-

- 1.उम्र नि0 श्री दिनेश चन्द्र
- 2.उम्र नि0 श्री राधेश्याम
- 3.कांस्टेबल 2813 अभिषेक यादव
- 4.कांस्टेबल 2510 अंकित गोस्वामी